न्यायालय उपखंड अधिकारी लूनकरनसर

बअदालत :– राजन्द्र कुमार–।। आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 468/2022

1. **कौशल यादव पुत्र श्री जय प्रकाश जाति यादव निवासी घेसूरा तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर।**
2. **भूपेन्द्र यादव पुत्र श्री जय प्रकाश जाति यादव निवासी घेसूरा तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर।**

बनाम **–वादीगण**

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार (राजस्व)लूनकरनसर

उपस्थित :– –प्रतिवादी

1 श्री भानूप्रताप शर्मा वकीलवादी
2 पेरोकार राज।

दावा बाबत घोषणात्मक नक्शा दुरूस्ती
दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए एवं धारा 136 एलआर एक्ट
–: निर्णय :–

दिनांक :–09.01.2023

पत्रावली आज पेश हुई। वादी, वादी वकील एवं पैरोकार राज उपस्थित। संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी की ओर से श्री भानुप्रताप शर्मा द्वारा कहा गया की वादी के नाम से मौजा रोही चक 2 आरबीएम तहसील लूनकरनसर के खेत मु.नं. 133/62, मु.नं. 133/63, मु.नं. 153/6 मं तादादी 10.5206 भूमि संयुक्त खाता की हैं। जिस पर वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। मौका पर वादीगण का कब्जा काश्त हैं। उक्त भूमि वादीगण के दादा रामचन्द्र के नाम थी उन्होने मृत्यु से पूर्व वादीगण के पक्ष में वसीयतनामा करवा दिया था उनकी मृत्यु के बाद उक्त भूमि का नामान्तकरण वादीगण के नाम दर्ज हो गया। वसीयतनामा में वादीगण के पिता ने वादी संख्या 1 का घरेलू नाम कृष्ध गोपाल अंकित करवा दिया जो बाद में उसी अनुसार रिकार्ड में लगातार चलता आ रहा है। वादी संख्या 2 का नाम भी भूपेन्द्र सिंह अंकित करवा दिया जो नामान्तरणकरण के समय से रिकार्ड में लगातार चलता आ रहा हैं। वादीगण के अन्य रिकार्ड यथा आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि ममें क्रमशः कौशल यादव व भूपेन्द्र यादव नाम अंकित है तथा यही सही नाम हैं। वादीगण ने [illegible] नामशुद्ध बाबत् श्रीमान तहसीलदार लूनकरनसर के समक्ष प्रस्तुत किया [illegible] श्रीमान तहसीलदार लूनकरनसर द्वारा बिना किसी सक्षम न्यायालय के [illegible] के कारण रिकार्ड में उक्त नामशुद्ध के अंकन की [illegible] वादी को [illegible] प्रस्तुत करने का वाद कारण हासिल हुआ हैं। उक्त वाद घोषणा का है जिसमें स्टेट को आवश्यक पक्षकारा बनाया गया हैं। अतः वादी वकील द्वारा वाद पत्र के पक्ष में वादी के नाम भूपेन्द्र सिंह पुत्र जयप्रकाश के स्थान पर भूपेन्द्र यादव एवं कृष्ण गोपाल पुत्र जयप्रकाश के स्थान पर कौशल यादव पुत्र जयप्रकाश शुद्धि कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश करने करने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kum
Date: 2023.01.27 11:12:53 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद के समर्थन में दस्तावेज जमाबन्दी चक 2 आरबीएम सम्वत 2077–80 मु.नं. 133/62, 133/63, 153/6 कुल तादादी 10.5206 हैक्टेयर खाता संख्या 67, जनआधार कार्ड छायाप्रति, ग्राम पंचायत रामबाग द्वारा नाम की तस्दीक ,नामान्तकरण प्रमाणित छायाप्रति ग्राम घेसुरा, सहखातेदार एवं वादीगण द्वारा नाम तस्दीक के सम्बन्ध में शपथ पत्र नॉन ज्यूडीशीयल स्टाम्प, कोशल यादव नाम से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अंकतालिका वर्ष 2014, 2012 छायाप्रति , चुनाव पहचान पत्र कोशल पुत्र जयप्रकाश, भूपेन्द्र यादव नाम से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अंकतालिका वर्ष 2015, 2017,2019 छायाप्रति आदि प्रस्तुत कर वादीगण वकील द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त वाद में घोषणात्मक डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी विनाय की जारी फरमाई जावें कि वादगत खातेदारी कृषि भूमि वादी के नाम से कृषि भूमि मौजा रोही चक 2 आरबीएम तहसील लूनकरनसर के खेत मु.नं. 133/62, मु.नं. 133/63, मु.नं. 153/6 मं तादादी 10.5206 भूमि संयुक्त खाता संख्या 67 भूमि में वादीगण उक्त दस्तावेजो शपथ–पत्र के आधार पर नाम भूपेन्द्र सिंह पुत्र जयप्रकाश के स्थान पर भूपेन्द्र यादव एवं कृष्ण गोपाल पुत्र जयप्रकाश के स्थान पर कौशल यादव पुत्र जयप्रकाश नाम की घोषणा करवाने का हकदार हैं।

उक्त जावाब दावा में प्रतिवादी राजपैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जो इस प्रकार है वाद का पैरा संख्या 1 में वर्णित तथ्य राजस्व रिकार्ड के अनुसार हैं। यह है कि वादी स्वयं साबित करे कि उसका नाम भूपेन्द्र सिंह पुत्र जयप्रकाश के स्थान पर भूपेन्द्र यादव एवं कृष्ण गोपाल पुत्र जयप्रकाश के स्थान पर कौशल यादव पुत्र जयप्रकाश हैं। राजस्व रिकार्ड में वादी अपना नाम संशोधित कराना चाहता है तो राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं हैं।

हमने पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का घ्यानपुर्वक अध्ययन किया । वाद के समर्थन में दस्तावेज जमाबन्दी चक 2 आरबीएम सम्वत 2077–80 मु.नं. 133/62, 133/63, 153/6 कुल तादादी 10.5206 हैक्टेयर खाता संख्या 67, जनआधार कार्ड छायाप्रति, ग्राम पंचायत रामबाग द्वारा नाम की तस्दीक ,नामान्तकरण प्रमाणित छायाप्रति ग्राम घेसुरा, सहखातेदार एवं वादीगण द्वारा नाम तस्दीक के सम्बन्ध में शपथ पत्र नॉन ज्यूडीशीयल स्टाम्प, कोशल यादव नाम से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अंकतालिका वर्ष 2014, 2012 छायाप्रति , चुनाव पहचान पत्र कोशल पुत्र जयप्रकाश, भूपेन्द्र यादव नाम से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अंकतालिका वर्ष 2015, 2017,2019 छायाप्रति का भलीभांति अध्ययन किया । वादी वकील के कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजो शपथ पत्रों से स्पष्ट है कि भूपेन्द्र सिंह पुत्र जयप्रकाश एवं भूपेन्द्र यादव एवं कृष्ण गोपाल पुत्र जयप्रकाश एवं कौशल यादव पुत्र जयप्रकाश एक ही व्यक्ति के नाम हैं। अतः वादी के नाम से कृषि भूमि मौजा रोही चक 2 आरबीएम तहसील लूनकरनसर के खेत मु.नं. 133/62, मु.नं. 133/63, मु.नं. 153/6 मं तादादी 10.5206 [illegible] खाता संख्या 67 भूमि में वादीगण उक्त दस्तावेजो शपथ–पत्र के आधार पर [illegible] भूपेन्द्र सिंह पुत्र जयप्रकाश के स्थान पर भूपेन्द्र यादव एवं कृष्ण गोपाल [illegible] जयप्रकाश के स्थान पर कौशल यादव पुत्र जयप्रकाश [illegible] की जाती है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता [illegible]ल दफत्तर हों।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Ku
Date: 2023.01.27 11:12:53 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 09.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर न्यायालय हाजा में सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार–।।)
उपखण्ड अधिकारी
लूणकरनसर

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर

ब इजलास : राजेन्द्र कुमार–।।, आरएएस

कौशल यादव आदि **बनाम सरकार**

दावा अंतर्गत धारा 88 आरटीए एवं धारा 136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर :– 468/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री भानुप्रताप शर्मा, अधिवक्ता वादी प्रतिवादी की ओर पेरोकारराज उपस्थित। वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि राजस्व रिकार्ड में वादगत भूमि मौजा रोही चक 2 आरबीएम तहसील लूनकरनसर के खेत मु.नं. 133/62, मु.नं. 133/63, मु.नं. 153/6 मं तादादी 10.5206 भूमि संयुक्त खाता संख्या 67 भूमि में वादीगण उक्त दस्तावेजो शपथ–पत्र के आधार पर नाम भूपेन्द्र सिंह पुत्र जयप्रकाश के स्थान पर भूपेन्द्र यादव एवं कृष्ण गोपाल पुत्र जयप्रकाश के स्थान पर कौशल यादव पुत्र जयप्रकाश की घोषणा की जाती है तदानुसार तहसीलदार लूनकरनसर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करे।

नीज ....- ....मुबलिक ....- ....बाबत खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .... -.......................... फीस सदी सालाना आज की तारीख से वसूल याबो तक ....-...................... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 09.01.2023 को डिक्री जारी की गई।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kumar
Date: 2023.01.27 11:12:53 IST
Reason: SelfAttested